सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002,

क्रमांक एफ 8–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 2013

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   सचिव/संयुक्त सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन,
   नया रायपुर,(छ.ग.)
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागायुक्त,
4. समस्त कलेक्टर्स, (छत्तीसगढ़)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में ।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–6/05/1/6, दिनांक 21 नवम्बर, 2005,

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2 की उपधारा–(ज) में लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है, उक्त परिभाषा के अनुसार संदर्भित परिपत्र द्वारा लोक प्राधिकारी की सूची जारी कर, अंतिम कंडिका में सभी प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ आने वाले लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी कर आदेश की प्रति इस विभाग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, तत्संबंधी परिपत्र दिनांक 21.11.2005 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है ।

2/– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 की उपधारा–(2) में प्रावधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और तत्काल, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा–19 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाविहित करेगा ।

3/– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 की उपधारा–(1) के तहत आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये तथा जहां, वांछित जानकारी का निकटतम संबंध किसी अन्य लोक प्राधिकारी से है उस स्थिति में अधिनियम की धारा–6 (3)(ii) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन हस्तांतरित किया जाये ।

...2...

4/— इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी मार्गदर्शिका के भाग–4 "लोक सूचना अधिकारियों" की कंडिका–3 से 09 में भी स्पष्ट प्रावधान है ।

5/— अतः अनुरोध है कि इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ 7–6/05/1/6, दिनांक 21.11.2005 के संदर्भ में आपके विभाग/कार्यालय के अधीन आने वाले समस्त लोक प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने एवं जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाईयों/समस्याओं का सामना करना न पड़े।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.चुरेन्द्र)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ.क्रमांक एफ 8–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र. रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़ शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र कमांक 335/नि.स./मु.सू.आयु./2013, दिनांक 28.2.2013 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,